SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

ग्वालियर नगर निगम के आर्थिक विकास का विश्लेषण : एक अध्ययन

बबीता बाथम, (Ph.D.), राजनीतिशास्त्र विभाग
शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय, पिछोर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author
बबीता बाथम, (Ph.D.), राजनीतिशास्त्र विभाग
शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय, पिछोर,
जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 08/03/2021
Revised on : -----
Accepted on : 15/03/2021
Plagiarism : 04% on 08/03/2021

Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 4%

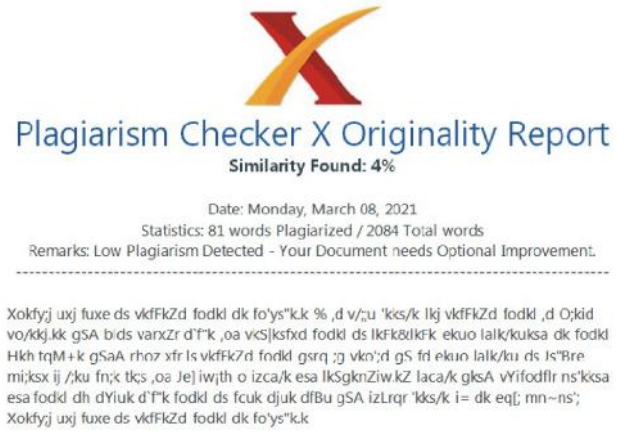

Date: Monday, March 08, 2021
Statistics: 81 words Plagiarized / 2084 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

Xokfy;j uxj fuxe ds vkfFkZd fodkl dk fo'ys"k.k % ,d v/;;u 'kks/k lkj vkfFkZd fodkl ,d O;kid vo/kkj.kk gSA blds varxZr d`f"k ,oa vkS|ksfxd fodkl ds lkFk&lkFk ekuo lalk/kuksa dk fodkl Hkh tqM+k gSaA rhoz xfr ls vkfFkZd fodkl gsrq ;g vko';d gS fd ekuo lalk/ku ds Js"Bre mi;ksx ij /;ku fn;k tk;s ,oa Je] iw¡th o izca/k esa lkSgknZiw.kZ laca/k gksA vYifodflr ns'kksa esa fodkl dh dYiuk d`f"k fodkl ds fcuk djuk dfBu gSA izLrqr 'kks/k i= dk eq[; mn~ns'; Xokfy;j uxj fuxe ds vkfFkZd fodkl dk fo'ys"k.k

शोध सार

आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है, इसके अंतर्गत कृषि एवं औद्योगिक विकास के साथ–साथ मानव संसाधनों का विकास भी जुड़ा हैं। तीव्र गति से आर्थिक विकास हेतु यह आवश्यक है कि मानव संसाधन के श्रेष्ठतम उपयोग पर ध्यान दिया जाये एवं श्रम, पूँजी व प्रबंध में सौहार्दपूर्ण संबंध हो। अल्पविकसित देशों में विकास की कल्पना कृषि विकास के बिना करना कठिन है। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य ग्वालियर नगर निगम के आर्थिक विकास का विश्लेषण करना है। ग्वालियर अब विकासशील से विकसित नगरों की श्रेणी में आ रहा है। यहां की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है। नगर में पिछले कई वर्षों में रोजगार, व्यवसाय के नवीन द्वारा खुले हैं। व्यवसायिक गतिविधियां भी नगर में बढ़ गई हैं। मॉल संस्कृति ने जनमानस को अपनी ओर आकर्षित किया है। कई अन्तर्राष्ट्रीय स्टॉल्स वे चाहे खाद्य पदार्थ के हों अथवा पहनने ओढ़ने के लिए हों नगर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आर्थिक रूप से ग्वालियर अब समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, यदि कुछ खामियां छोड़ दी जायें तो कह सकते हैं कि ग्वालियर नगर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहा है।

मुख्य शब्द

नगर निगम, आर्थिक विकास.

''ग्वालियर क्षेत्र को महर्षि गालव की तपोभूमि कहा जाता है। ग्वालियर नगर निगम की स्थापना रीजेन्सी परिषद द्वारा 6 जून 1887 को हुई, जिसकी स्थापना का मुख्य उददेश्य स्थानीय शासन प्रणाली के द्वारा नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना था। इस नगर निगम द्वारा नगर निगम अधिनियम तैयार किया गया जिसने 1911 में नगर निगम कानून का रूप लिया।''

ग्वालियर निगम की स्थापना के पूर्व (संभवत् 1904

के पूर्व) शहरी स्थानीय निकायों जैसे– नगर योजना, सफाई व्यवस्था आदि से संबधित सभी कार्य पुलिस विभाग द्वारा होते थे। सन् 1904 के उपरान्त इन सभी कार्यो को ग्वालियर नगर निगम को सौंप दिया गया।

वृहत्तर ग्वालियर के आर्थिक विकास के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार ने औद्योगिक संस्थानों (एस्टेट) की स्थापना का निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप सन् 1958 में बिरला नगर क्षेत्र के समीप औद्योगिक संस्थान निर्मित किया गया जिसमें 40 शेडो में अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे– भारत हब्स एवं टूल्स, भारत पेन्ट्स एवं केमिकल प्रीमियर ऑक्सीजन, खंडेलवाल आपर्स आदि प्रमुख स्थान रखते हैं।

ग्वालियर में दुपहिया वाहनों की माँग को देखते हुए सन् 1964 पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से यहाँ विक्की मोपेड फैक्ट्री की स्थापना की गई। इसकी वार्षिक क्षमता 30,000 विक्टोरिया मोपेड प्रतिवर्ष है, वर्तमान में यह संस्था बंद है। सन् 1965 से 1975 के बीच अनेक लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हो चुकी थी, जिसे बामोर सीमेन्ट फैक्ट्री, जेपिका कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज इत्यादि प्रमुख है, किन्तु इस अवधि में किसी बड़े उद्योग की स्थापना का सौभाग्य ग्वालियर को प्राप्त नहीं हो सका। स्थानीय उद्योगों को कच्चे माल की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सन् 1977 में स्टील स्टॉकगार्ड की स्थापना की गयी। अपने प्रारंभिक वर्षों में उसने 200 टन इस्पात के भण्डार की बिक्री से कार्य शुरू किया।

ग्वालियर में वृहत्तर औद्योगिक विकास की संभवनाओं के ध्यान में रखते 2 अप्रैल 1979 को जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना ग्वालियर में की गई। ग्वालियर ने अपने औद्योगिक परिवेश में समयानुकूल प्रगति 1963 में आरंभ कर दी थी, परन्तु औद्योगिक नीति का सही क्रियान्वयन जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना के बाद ही हुआ है। सन् 1981 तक ग्वालियर में 4 बड़े उद्योग 1824 लघु उद्योगों की स्थापना हो चुकी थी। प्रदेश के अन्य शहरों के अंग की दृष्टि से 1970–71 से 1980–81 तक कुल स्थापित 1824 लघु उद्योग में कुल 14.140 लाख रूपयों की पूंजी विनियोजित थी तथा लगभग 12330 व्यक्ति इनमें कार्यरत थे।

सन् 1931 में ग्वालियर में कुल 1824 लघु उद्योग स्थापित थे। सन् 1994 में लघु उद्योगों की संख्या 6752 पहुंच गई है अर्थात इस अवधि में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सन् 1996–97 में लघु उद्योगों की संख्या 8000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में ग्वालियर परिक्षेत्र में एक लाख से अधिक ईकाईयाँ स्थापित हैं, जिसमें 3 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है।

ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण हेतु सन् 1994–95 में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने एक ऋण सघनकरण कार्यक्रम के प्रायोगांक दौर पर देश में से 5 जिलों का चयन किया था। देश के प्रमुख चुने हुये ये जिले सवाई माधौपुर (राजस्थान), ग्वालियर (मध्यप्रदेश) गजाम (उड़ीसा) कुर्नूल (आंध्रप्रदेश) एवं सावरकांठा (गुजरात) है। जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना में 25 करोड़ रुपये ऋण एवं प्रोत्साहन सहायता दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। ग्वालियर जिले में जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना बरई, पनिहार में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से शुरू की गई है।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999 में 899 औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की गई, जिसके लिए 3 करोड़ 85 लाख 61 हजार के ऋण वितरित किये गये, इसके साथ ही साथ 2600 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वर्ष 1995 –96 में 5 करोड़ 42 लाख 65 हजार रुपये वितरित किये गये जिससे 542 ईकाइयों की स्थापना की गई एवं 1800 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। वर्ष 1996–97 में ग्वालियर जिले में 534 इकाइयों की स्थापना की गई जिसके लिए 5 करोड़ 19 हजार के ऋण उपलब्ध कराये गये जिसमें 2183 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। वर्ष 1997–98 में 495 इकाइयों की स्थापना की गई, 4 करोड़ 90 लाख 82 हजार रुपये 82 हजार ऋण के रूप उपलब्ध कराये गये तथा 1910 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। वर्ष 1998–99 में 564 इकाइयों की स्थापना की गयी एवं 5 करोड़ 14 लाख 76 हजार रुपये के ऋण उपलब्ध कराये गये तथा 2182 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।

म.प्र. औद्योगिक विकास निगम, ग्वालियर की स्थापना प्रदेश के उत्तरी अंचल के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने एवं म.प्र. के उत्तरांचल में औद्योगिक विकास हेतु सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाऐं जुटाने के उद्देश्य से कम्पनी 1956 के अन्तर्गत मई 1958 में की गई। निगम कुशल प्रबंध के कारण उद्योग स्थापना एवं उत्कृष्ट अधोसंरचना उपलब्ध कराने दोनों के लिए समान रूप से कृत संकल्पित रहा है।

इस औद्योगिक विकास केन्द्र की सफलता के प्रमुख कारण उदार शासकीय नीतियाँ कुशल प्रबन्ध संवेदनशील प्रशासन, उत्कृष्ट अधोसंरचना निर्माण एवं उसका संधारण उद्योगों की स्थापना के प्रति निगम की जागरुकता के अलावा समय–समय पर नवीन उद्योगों को आमंत्रित करने हेतु निगम की ओर से किये गये प्रयास प्रमुख है। निगम के अधिकारियों द्वारा गत वर्ष में पटना, इलाहबाद, राँची, दिल्ली, झाँसी, बीना, एवं गुना आदि अनेक स्थानों पर औद्योगिक सम्पर्क शिविर, संगोष्ठी, सेमीनार, आयोजित किये गए है। म.प्र. शासन की ''औद्योगिक नीति'' एवं निगम के उक्त प्रयासों, कुशल प्रबंधन तथा उत्कृष्ट अधोसंरचना से प्रभावित होकर यथा मै. हाटलाईन गुप्त द्वारा नई ईकाई की स्थापना (पूंजी वैष्ठन लगभग 500 करोड़), मैं वीडियोकान (पूंजी वैष्ठन 200 करोड़) एवं स्टलिंग एग्रो प्रा. लि, 'नोवा का विस्तार' (पूंजी वैष्ठन 22.75 करोड़) किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस विकास केन्द्र में मेडिकल एवं डेन्टल कॉलेज तथा हास्पीटल की स्थापना हेतु मै. इंटरनेशनल एसोसियेशन फॉर मेडिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च को लगभग 50 एकड़ भूमि की आशय पर जारी किया गया था। जिनके द्वारा प्रस्तावित पूंजी निवेश रुपये 100 करोड़ एवं मै. एस्कटि प्रा.लि. को 7.14 एकड़ भूमि आंबटित की गई जिनके द्वारा प्रस्तावित पूंजी निवेशन रु. 40.09 करोड़ है तथा म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में 128 मेगावट डीजल विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु 32.86 एकड़ भूमि की मांग की गई है।

इस विकास केन्द्र में निम्न उपलब्ध प्रतिष्ठित उद्योग स्थापित है–मैं हाटलाइन गुप मै. एस.आर.एफ. लि. फलेक्स इण्डस्ट्रीज, मैं. गोदरेज सोप्स, मैं. एटलस सायकल, मैं कैडबरी, इंडिया लि., मैं. क्रॉम्पटन ग्रीव्स लि. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यहाँ से प्रतिवर्ष लगभग रु. करोड़ मूल्य का उत्पादन निर्यात कर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अर्जन किया है।

आर्थिक विकास की प्रस्तावित योजनायें

इस निगम द्वारा विकास केन्द्र में 'ट्रांसपोर्ट काम्पलेक्स' अनुमानित लागत रु 660 लाख फूड प्रोसेसिंग पार्क' लागत रु 301 लाख की योजनाऐं प्रस्तावित की गई हैं जो कि स्वीकृत हेतु भारत सरकार के पास विचाराधीन है। प्रस्तावित फूड प्रोसेसिंग पार्क में कोल्ड, वेयर हाउस, टेस्टिंग लेबोरेलेरीज, चिंलिग सेंटर, निस्तृत जल उपचार ईकाई का निर्माण किया जायेगा, जिसका लाभ उद्योगपतियों के साथ–साथ स्थानीय कृषकों को भी मिलेगा।

इन विकास केन्द्रों के लिए सतत् जलप्रदाय हेतु निगम की प्रस्तावित को कोतवाल उन्नतीकरण योजना लागत 200 लाख रु. को म.प्र. शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। हाल ही में भारत सरकार योजनान्तर्गत, बीना, जिला सागर के लिए 3.60 करोड़ की योजना मंजूर की है। स्मरणीय है कि निगम के द्वारा गत वर्ष अपने कार्यक्षेत्र में कुल 15 परियोजना प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजे गये थे। इनसे जहाँ उद्योग को बेहतर औद्योगिक संरचना का लाभ मिलेगा वहीं दूसरी ओर निगम की आय में भी लगभग दो गुनी वृद्धि मिली।

उक्त परियोजना में 'फूड पार्क' एवं यातायात काम्पलेक्स के अतिरिक्त 'एपेरल पर्किंग औद्योगिक क्षेत्र का उन्नयन, कॉमन फेसेलिटी सेन्टर के निर्माण आदि से सम्बन्धित परियोजनाऐं है। पूर्व मुख्य मंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा घोषित की गयी नई आर्थिक विकास नीति स्थानीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं तथा उद्यमियों के उद्योग स्थापित करने हेतु आकर्षित हो इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उक्त परियोजनाएं तैयार की गई है। उक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश एवं इस निगम के क्षेत्रान्तर्गत उद्योग क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी एवं अभूतपूर्व परिवर्तन अप्रभावी है। म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ग्वालियर पहले भी इस तरह की परियोजनाऐं क्रियान्वित करने में प्रदेश में सर्वप्रथम भारत सरकार की क्रिटीकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बेलेंस स्कीम की तरह मालनपुर में रोड़ सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया गया तथा निगम द्वारा केन्द्र शासन की एकीकृत अधोसंरचना विकास योजना' के तहत

वित्तीय सहायता प्राप्त लघु उद्योग विकास केन्द्र नांदनवेला की स्थापना कराई गई। निगम के विद्युत व्यय में बचत हेतु औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में 'विण्ड कार्य' की स्थापना एवं विकास भवन तथा निगम मुख्यालय में विद्युत आपूर्ति हेतु 'सोलर इनर्जी सिस्टम' स्थापित कराने की भी मंशा हैं, इनके फलस्वरूप बड़ी राशि की बचत संभव हो सकेगी। इस विकास केन्द्र के लिए नवीनतम सौगात के रूप में 50 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत प्रदाय का शुभारंभ श्रीमंत माधवराव सिंधिया सांसद द्वारा म.प्र. शासन की उपस्थिति में किया गया। इस विकास केन्द्रों का निरीक्षण एवं भ्रमण समय–समय पर विदेशी प्रतिनिधिमण्डल केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों द्वारा उच्च प्रदेशों के अतिथियों द्वारा किया गया था। भारत सरकार के योजना आयोग के क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक ने अपने चार सदस्यीय दल के साथ इन विकास केन्द्रों का निरीक्षण किया एवं निगम द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिए किए गये प्रयासों, कुशल प्रबंधन तथा उत्कृष्ट अधोसंरचना की सराहना की है एवं इस विकास केन्द्र को प्रदेश में सर्वोत्कृष्ट निरूपित किया गया है।

निष्कर्ष

लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी नगर के अधोसंरचना विकास की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की होती है। इसीलिये क्षेत्र के विकास में पार्षद की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्वालियर शहर में बड़े पैमाने पर विकास कार्य सम्पन्न हुए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप ग्वालियर की सूरत व सीरत दोनों बदले हैं। ग्वालियर देश के उन चुनिंदा शहरों में है, जिनमें एक ही दल की सरकार नगर से लेकर केन्द्र तक उसके विकास के बारे में प्रयासरत है एवं ग्वालियर विकास की ओर तेजी से अग्रसर हुआ है। ग्वालियर के डबरा व शिवपुरी दोनों प्रवेश द्वारों को सुधारने के लिये 100 करोड़ रूपए की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। राज्य सरकार द्वारा शहर में सड़क, पानी, बिजली के लिये भी सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, नवीन पुलों, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। नगर का सौंदर्यीकरण किया जाकर रेलवे स्टेशन को भव्य एवं आकर्षक रूप देने की तैयारी है।

ग्वालियर को एक तरफ स्मार्ट सिटी बनाने का सपना संजोया जा रहा है तो दूसरी ओर कुछ खामियां भी हैं परन्तु धीरे–धीरे उन खामियों पर भी विचार किया जा रहा है।

सुझाव

1. निगम को नगर में आर्थिक विकास हेतु नई योजनायें बनाकर व्यवसाईयों को उद्योग के लिए आमंत्रित करना चाहिए।
2. निगम के कर्मचारियों का संपूर्ण ध्यान छोटे–छोटे फुटपाथियों, हाथठेला वाले मजदूर, छोटे–छोटे स्टॉल लगाने वाले लोगों पर अधिक रहता है और प्रतिदिन उनसे अनैतिक रूप से वसूली करके वह बड़े–बड़े कार्यों को अनदेखा करते रहते हैं। अतः इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये छोटे व्यवसायी ही आर्थिक विकास की रीढ़ होते हैं।
3. पार्षदों को निगम से मिली राशि को कार्य में खर्च करने में पारदर्शिता बरतनी चाहिए।
4. महापौर को समय–समय पर वार्डों में स्वयं जाकर निरीक्षण करना चाहिए।
5. पुराने खंडहर एवं पुरातात्विक भवनों, इमारतों का उद्धारीकरण होना चाहिए।
6. आम आदमी की समस्यायें–सड़क, बिजली एवं पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए।
7. सड़क निर्माण में घटिया माल न लगाया जाये, इस हेतु ठेकेदारों पर अंकुश रखना चाहिए।
8. नगर में व्याप्त सीवेज की समस्या, नाली की सफाई को प्राथमिक स्तर पर ही निपटाना चाहिए।
9. नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को साफ रखने के लिए सड़कों आदि की सफाई पर ध्यान दें एवं अपने स्वार्थ के लिए सड़क को खोदने से बचें।

संदर्भ सूची

1. मजुपुरिया, संजय, *ग्वालियर इतिहास और उसके दर्शनीय स्थान*।
2. सेन्सस ऑफ इंडिया 1961, म.प्र. डिस्ट्रिक्ट हैण्डबुक, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेण्ट ऑफ एम.पी., भोपाल।
3. माहेश्वरी, एच.बी. *'जैसल'* (ग्वालियर इतिहास, संस्कृति एवं पर्यटन)
4. शर्मा एवं सुरेन्द्र सोलंकी (मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान)
5. सिद्दीकी, शादाब अहमद (मध्यप्रदेश सम्पूर्ण अध्ययन)
6. जिन्दल, मदनलाल. मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 (इन्दौर : राजकमल पब्लिकेशन, 2010)
7. ग्वालियर विकास योजना ''नियोजना प्रस्ताव'', 2004।

****